

फरीदाबाद और गुरुग्राम ज़िले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और हाई डेंसिटी वाले गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट उपकरण लगाए जाएंगे

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम ज़िले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और महत्त्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और हाई डेंसिटी वाले कॉरिडोर पर इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट उपकरणों को लगाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बंदि

- मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए के प्रावधान को लागू करने के लिये तौर-तरीके स्थापित करने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करने के लिये विभिन्न वशिषज्जों को नयुक्त करें।
- ये वशिषज्ज राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की नगिरानी और जाँच करने के लिये स्पीड कैमरा, क्लोज सर्कट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वयिरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और मशीन में वजन के माध्यम से आकलन करेंगे।
- उन्होंने बताया कि ये वशिषज्ज राज्य के विभिन्न विभागों को उन जंक्शनों की पहचान करने में सहायता भी करेंगे जहाँ वाहनों की तेज गति और दुर्घटना संभावित क्षेत्त्र की संभावना है।
- मुख्य सचिव ने सभी हतिधारक विभागों को प्रक्रिया पूरी करने के लिये 7 मार्च, 2023 तक समय दिया है और अपने-अपने विभागों की रिपोर्ट आगामी 14 मार्च, 2023 तक परविहन आयुत्त को भेजने के निर्देश भी दिये।
- उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट उपकरणों को इस तरह से लगाया जाना चाहिये ताकि यातायात प्रवाह में कोई बाधा, टूट्टिकी समस्या उत्पन्न न हो।
- बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि नियम 167 के तहत सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक नगिरानी के माध्यम से ऑटो-जेनरेशन चालान का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किये जाने चाहिये।
- इसके अलावा, बारशि, ओलावृष्टि, कोहरे के मौसम जैसी प्रतकिल मौसम की स्थिति के साथ-साथ मार्ग में आगे किसी बाधा को इंगति करने के लिये सड़क खंडों पर गति सीमा को सूचति करने के लिये नश्चि और गतिशील गति सीमा संकेतों का भी उपयोग किये जाना चाहिये।
- मुख्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट उपकरणों द्वारा नगिरानी किये जाने वाले हसिंसों से पहले उपयुक्त चेतावनी संकेत स्पष्ट रूप से लगाए जाने चाहिये, जसिसे जनता को सूचति किये जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग में हैं और वे सीसीटीवी नगिरानी के अधीन हैं।